न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही (राज.)
बईजलास श्रीमती शुभम चौधरी, आई.ए.एस.

मुकदमा सं. 06/2023

प्रार्थी

सरकार जरिए थानाधिकारी पुलिस थाना पिण्डवाडा जिला सिरोही।

बनाम

अप्रार्थी

1. श्री भगवतसिंह उर्फ टमुसिंह पुत्र श्री हरिसिंह जाति राजपूत निवासी केसरपुरा थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ।
2. श्री सदाम हुसैन पुत्र श्री बाबूशाह जाति फकीर मुसलमान निवासी चमार मौहल्ला नगरी, थाना बस्सी जिला चित्तौडगढ़।

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी, सिरोही प्रार्थी की ओर से।
2. अप्रार्थी अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक 09.05.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2021 को एक पिकअप वाहन संख्या आरजे 27 जीडी 3455 को चैक किया तो उसमें रखे कुल 23 प्लॉस्टिक की जरीकनों में से 21 जरीकनों में डीजल भरा हुआ पाया गया जिसमें कुल 1050 लीटर डीजल भरा हुआ पाया गया। बिना परमिट एवं उचित कारण के डीजल कब्जे में रखना धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध होने से डीजल को जरिये फर्द कब्जे लिया जाकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए के तहत समयपहरण (Confiscate) करने हेतु यह प्रकरण पेश किया गया है ।

प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया जिस पर अप्रार्थी की ओर से किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी सिरोही की एक पक्षीय बहस सुनी गई तो प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि दिनांक 12.04.2021 को दौराने नाकाबंदी नेशनल हाईवे रोड नं. 27 पर मौरस चौकी के पास वाहन को रूकवाया तो उक्त वाहन पिकअप संख्या आरजे 27 जीडी 3455 में 23 प्लॉस्टिक के जरीकन 50–50 लीटर क्षमता के काले [illegible] आसमानी नीले रंग के 14 जरीकन रखे हुए थे, जिसमें से 2 काले [illegible]न खाली थे व शेष 21 जरीकनों में तरल पदार्थ भरा हुआ [illegible] डीजल से भरा हुआ होना बताया गया। उक्त [illegible] तथा वाहन [illegible] को मौके पर पकडा। वाहन [illegible] श्री भगवतसिंह उर्फ [illegible] पुत्र श्री हरीसिंह जाति राजपूत निवासी केसरपुरा थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ होना बताया। वाहन चालक से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने उक्त जरीकनों

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:22:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

में डीजल भरा होना बताया। उक्त जरीकनों में भरे तरल पदार्थ का गणितीय हिसाब से माप करने पर प्रत्येक जरीकन में 50 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। इस प्रकार कुल 1050 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया तथा उक्त डीजल को कोदरला के पास आशापुरा होटल पर लालजी गायरी को देने जाना बताया। उक्त पिकअप चालक व मालिक सदाम हुसैन द्वारा उक्त पिकअप में बिना पास परमिट व बिल के विक्रय प्रयोजन से राज्य सरकार के साथ धोखाधडी कर अपने कब्जे में रखकर बेचने के प्रयोजन से अपने पास रख कर ले जाना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया एवं न्यायालय द्वारा अंतरिम निस्तारण के आदेश नहीं हुए है। अतः डीजल ज्वलनशील पदार्थ है, जिसे लम्बे समय तक थाने में पड़े रहने से लीकेज एवं आग लगने की सम्भावना है। अतः उसे समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करावे ।

अप्रार्थी संख्या एक व दो की ओर से बावजूद नोटिस तामिली के किसी भी प्रकार की कोई उपस्थिति नहीं दी गई एवं न ही जवाब प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो को जवाब हेतु कई अवसर प्रदान किए जा चुके थे अतः अप्रार्थी संख्या एक व दो का जवाब देने का अवसर बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या एक व दो बहस हेतु नियत तिथि पर उपस्थित नहीं हुए, अतः प्रकरण में एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो निष्कर्ष इस प्रकार है कि दिनांक 12.04.2021 को दौराने नाकाबंदी नेशनल हाईवे रोड नं. 27 पर मौरस चौकी के पास वाहन को रूकवाया तो उक्त वाहन पिकअप संख्या आरजे 27 जीडी 3455 में 23 प्लॉस्टिक के जरीकन 50--50 लीटर क्षमता के काले रंग के 6 जरीकन, हरे रंग के 3, आसमानी नीले रंग के 14 जरीकन रखे हुए थे, जिसमें से 2 काले रंग के जरीकन खाली थे व शेष 21 जरीकनों में तरल पदार्थ भरा हुआ था, जो चालक के कहे अनुसार डीजल से भरा हुआ होना बताया गया। उक्त जब्तशुदा वाहन से एक व्यक्ति भाग गया तथा वाहन चालक को मौके पर पकडा। वाहन चालक से नाम पूछने पर श्री भगवतसिंह उर्फ टमुसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति राजपूत निवासी केसरपुरा थाना भदेसर जिला चित्तौडगढ होना बताया। वाहन चालक से उक्त तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने उक्त जरीकनों में डीजल भरा होना बताया। उक्त जरीकनों में भरे तरल पदार्थ का गणितीय हिसाब से माप करने पर प्रत्येक जरीकन में 50 लीटर डीजल भरा हुआ होना पाया गया। इस प्रकार कुल 1050 लीटर डीजल अवैध भरा हुआ पाया गया एवं अप्रार्थी से उक्त डीजल से सम्बन्धित बिल व अनुज्ञा के बारे में पूछा तो अप्रार्थी ने अपने पास कुछ भी उपलब्ध नहीं होना बताया तथा उक्त डीजल को कोदरला के पास आशापुरा होटल पर लालजी गायरी को देने जाना बताया। उक्त पिकअप चालक व मालिक सदाम हुसैन द्वारा उक्त पिकअप में बिना पास परमिट व बिल के विक्रय प्रयोजन से राज्य सरकार के साथ धोखाधडी कर अपने कब्जे में रखकर बेचने के प्रयोजन से अपने पास रख कर ले जाना बताया। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसंस के डीजल का अवैध भण्डारण करने पर प्रार्थी द्वारा उक्त डीजल को कब्जे सरकार लिया गया। इस सम्बन्ध में अप्रार्थी के द्वारा किसी भी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:22:01 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अतः बिना लाइसेंस के अवैध रूप से डीजल का भण्डारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत् दण्डनीय अपराध होने से धारा 6 ए. के तहत् प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर कब्जे सरकार लिये गये कुल 1050 लीटर डीजल को समयपहरण (Confiscate) करने के आदेश दिये जाते है।

जिला रसद अधिकारी, सिरोही कब्जे सरकार लिए गए कुल 1050 लीटर डीजल का एवं उपयोग में लिए गए जरीकनों का निस्तारण नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण कर/नीलाम कर प्राप्त राशि राजकीय राजकोष जमा कराने की कार्यवाही करें एवं चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया

(शुभम चौधरी)
जिला कलक्टर, सिरोही

जिला कलक्टर सिरोही (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shubham Chaudhary
Date: 2024.05.28 18:22:01 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner